रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032022-233995
CG-DL-E-08032022-233995

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 990]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 8, 2022/फाल्गुन 17, 1943
No. 990]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 8, 2022/PHALGUNA 17, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2022

का.आ. 1021(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में, खंड 19 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"19 क. ऐसे मामलों में जहां नमूने, डीलरों से असल अक्षत थैलों (बिना किसी छेड़छाड़ के चिह्न वाले) में से लिए गए थे और वे अमानक पाए जाते हैं, तब वहां ऐसी परिस्थितियों में डीलर और विनिर्माता दोनों ही को

अधिनियम के अधीन संबद्ध न्यायालय में मामला फाइल करने और इस आदेश के खंड 31 के अधीन कार्यवाहियों के लिए पक्षकार बनाया जाएगा ।"

3. उक्त आदेश में, खंड 35 के उपखंड (क) में, "प्ररूप ढ में" शब्द और अक्षर के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"या ऐसे प्ररूप में डिजिटल स्टॉक रजिस्टर जो तारीख-वार स्टॉक स्थिति, आरंभिक अतिशेष, दिन के दौरान प्राप्तियां, दिन के दौरान विक्रय और अंतिम स्टॉक को स्पष्टत: प्रदर्शित करता है ।"

[फा. सं. 3-7/2019 उर्वरक विधि]

प्रिय रंजन, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना स. का. नि. संख्या 758 (अ) तारीख 25 सितंबर, 1985 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन का.आ. 4560 (अ) तारीख 1 नवंबर, 2021 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2022

S.O. 1021(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said Order), after clause 19, the following clause shall be inserted, namely:-

"19 A. In cases where the samples were drawn from the dealers out of original sound bags (without any mark of tempering) and are found non-standard, then in such circumstances both dealer and manufacturer shall be made party for filling the case in the concerned court under the Act and proceedings under clause 31 of this Order.''

3. In the said Order, in sub-clause (a) of clause 35, after the word and letter "Form 'N'," the following words shall be inserted,-

''or maintain digital stock register in the form which clearly exhibits the date wise stock position, opening balance, receipts during the day, sales during the day and closing stock.''

[F. No. 3-7/2019 Fert. Law]

PRIYA RANJAN, Jt. Secy.

Note:- The principal Order was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 758(E) dated the 25th September,1985 and last amended vide number S.O 4560 (E) dated 1st November, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.08 23:06:02 +05'30'